228

समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक / / I / 2016   R 167-I/16

दिनांक 18-1-16 को श्री दिवाकर दीक्षित अधि० द्वारा प्रस्तुत। 18-1-16

दिवाकर दीक्षित एडवोकेट

1. बल्लू पुत्र प्रभूलाल
2. लक्मी बाई पत्नी बल्लू जाति मीणा
3. काडू पुत्र धन्ना
4. नरेश पुत्र धन्ना
5. धरमू पुत्र हरजी
6. राम सिंह पुत्र हरजी
7. धीरज पुत्र हरजी

सभी जाति गुर्जर निवासी ग्राम जाखदा जागीर तहसील बडौदा जिला श्योपुर म.प्र.

.... निगरानीकर्तागण

बनाम

1. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला श्योपुर
2. अनुविभागीय अधिकारी जिला श्योपुर म.प्र.

.....अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 173 / 15–16 / बी– 121 आदेश दिनांक 07.01.2016 से व्यथित होकर ।

माननीय न्यायालय ,

निगरानीकर्तागण / आवेदकगण की ओर से निगरानी आवेदन निम्न प्रकार प्रस्तुत है:–

3

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निग.. 167-एक/**2016** जिला श्योपुर

बल्लू आदि विरूद्ध म.प्र. शासन अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि आदि के हस्ता
22-08-19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी जिला श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 173/2015-16/बी-121 में पारित आदेश दिनांक 07.01.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुए नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-09-18 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला - श्योपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2- पक्षकार दिनांक 30-09-19 को कलेक्टर, के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0 के0 जैन) सदस्य	